न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 45/2018 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्याः– 2018/00095

उनवान

शेर सिंह पुत्र प्रभू जाति मीना निवासी ग्राम धानौता तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. नत्था सिंह पुत्र खेल सिंह } जाति जाट सिख नि0 नदिया मौहल्ला भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर
2. मन्ना सिंह पुत्र नत्था सिंह }
3. तेजी पुत्र मूल्या जाति मीना निवासी ग्राम धानोता तहसील व जिला भरतपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(भूमिधारी) तहसील भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर प्रकरण संख्या 96/2016 उनवानी शेर सिंह बनाम नत्था।

उपस्थितिः–

1. श्री महाराज सिंह डागुर वकील अपीलांट।
2. श्री घनश्याम सिंह वकील रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक–02.07.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि हाल खसरा नम्बर 1103/0.41 है0 जो गत खसरा नम्बर 635 रकवा 02 बीघा 05 विस्वा वाके ग्राम धानौता तहसील व जिला भरतपुर से बना है पर वादी/अपीलाण्ट व प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 03 का पिता मूल्या शिकमी कृषक दर्ज है। वादी/अपीलाण्ट व प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 03 ने पूर्व में एक राजस्व वाद न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के यहॉ प्रस्तुत किया था जो दिनांक 01.01.1991 में डिक्री हुआ। वादी/अपीलाण्ट अनपढ व्यक्ति है। उसने समझा कि निर्णय/डिक्री की पालना जमाबन्दी में स्वतः ही हो जावेगी इसलिये इजराय पेश नहीं की। अतः वाद प्रस्तुत कर प्रार्थना की गयी कि हाल खसरा नम्बर 1103/0.41 है0 स्थित ग्राम धानौता से गैर खातेदारों का नाम कलमजन कर वादी तथा

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

प्रतिवादी/रेस्पो० संख्या 03 को खातेदार कृषक घोषित किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि सुसंगत अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्य के विरूद्ध है। विवादित आराजी पर पूर्व में न्यायालय श्रीमान् सहायक कलक्टर भरतपुर से विवादित आराजी के संबंध में दिनांक 01.01.1991 को वादी/अपीलाण्ट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जा चुका है तथा आराजी गत खसरा नम्बर 635/2.05 पर राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2018–2021 पर नत्था सिंह व मन्ना सिंह को गैर खातेदार लिखकर अपीलार्थी को शिकमी अंकित किया हुआ है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में भूल की है। जमाबन्दी संवत 2010 से 2013 एवं संवत 2014 से 2017 में भी अपीलाण्ट या उसके पूर्व प्रभू की शिकमी काश्त अंकित हो रही है इसलिये अपीलाण्ट को इस आराजी पर उपरोक्त अंकन के अनुसार भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 एवं 19(2) एवं 19(1)एए के अनुसार स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उत्तरवादीगण संख्या 01 व 02 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुये एवं उत्तरवादी संख्या 03 तेजी ने न्यायालय तहत में उपस्थित होकर अपना इकबाल दावा अपीलाण्ट के हक में लिख कर दिया है। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना वजह दावा अपीलाण्ट खारिज करने में भारी त्रुटि की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का तर्क है कि अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यों की जॉच उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी संवत 2010, गत खसरा नम्बर 635/1.05 पर नाम मालिक के कॉलम में मु0 सदीका वगै0 तथा नाम कृषक में नत्था सिंह पुत्र सुचेत सिंह जाति जाट सिख निवासी भरतपुर व काश्त प्रभू पुत्र गौरया, मूल्या पुत्र रघुनाथ हिस्सा बराबर जाति मीना सा0 दे0 दर्ज है तथा इसी जमाबन्दी में गत खसरा नम्बर 635/1.00 पर नाम कृषक के कॉलम में मन्ना सिंह पुत्र नत्था सिंह व काश्त प्रभू वल्द गौरया दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत 2018–21 पर गत खसरा नम्बर 635/2.05 पर नत्था सिंह व मन्ना सिंह को हिस्सा बराबर का गैर खातेदार तथा काश्त शेर सिंह पुत्र प्रभू व गुलिया पुत्र रघुनाथ का हिस्सा बराबर दर्ज है एंव नकल जमाबन्दी संवत 2023–26 पर गत खसरा नम्बर 635/2.05 पर नत्था सिंह पुत्र खेल सिंह निरफ, मन्ना सिंह पुत्र नत्था सिंह निरफ गैर खातेदार व काश्त शेर सिंह पुत्र प्रभू निरफ, मूल्या पुत्र रघुनाथ निरफ कौम मीना सा0 देह शिकमी दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत 2067–70 पर हाल खसरा नम्बर 1103/0.41 है0 पर मन्ना सिंह पुत्र नत्था सिंह 1/2 खातेदार, नत्था सिंह पुत्र खेल सिंह हिस्सा 1/2 जाति जाट सा0 भरतपुर गैर खातेदार दर्ज

अखिलेश कुमार पिप्पल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

[illegible]

6 [illegible] दिनांक 15.03.2018 [illegible]

7 निर्णय आज दिनांक 02.07.2021 [illegible]

(हृदयेश कुमार तिवारी)

[illegible]

राजस्व अपील प्राधिकारी

[illegible]